जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06 अगस्त, 2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति (संलग्न है)।

जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन किया गया जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया:-

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-2 (1) के अनुसार जब समुचित सरकार (Appropraiate Government) अपने स्वयं के उपयोग (its own use), अधिकार और नियन्त्रण (hold and control) के लिए, जिसमें पब्लिक सेक्टर उपक्रम के लिए और लोक प्रयोजन के अन्तर्गत transportation अंकित है जिसमें सहमति (consent) की आवश्यकता नहीं होगी। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-22/एक-13-2018-रा0-13 दिनांक 11 जनवरी, 2018 के अनुसार जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि का अर्जन नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा, अर्जित भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का रहेगा तथा लोक-परिवहन (Transportation) के उद्देश्य से हवाई सेवाओं आदि के संचालन हेतु लोक प्रयोजन (public purpose) से इस भूमि पर विकासकर्ता द्वारा एयरपोर्ट विकसित कराया जाएगा। राज्य सरकार के स्वामित्व की इस भूमि को भविष्य में कभी भी प्राइवेट संस्था को बेचा नहीं जाएगा अर्थात् यह भूमि राज्य सरकार के Hold (अधीन) में रहेगी। विकासकर्ता द्वारा विकसित किए जाने वाले जेवर एयरपोर्ट से सम्बन्धित भूमि विषयक नियन्त्रण (control) राज्य सरकार द्वारा स्वयं अथवा अपने नियन्त्रणाधीन अभिकरण/उपक्रम/एजेन्सी के माध्यम से किया जाएगा।

जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट transportation की श्रेणी मे आता है तथा भूमि नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम अधिग्रहण की कार्यवाही कलेक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा की जा रही है। धारा-2 (1) (b) (VI) के अन्तर्गत जेवर एयरपोर्ट को transportation के अन्तर्गत राज्य सरकार के its own use, hold and control मानते

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हुए सहमति (consent) से मुक्त रखा जाना व SIA के राज्य सरकार के अप्रूवल के उपरान्त section-11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक नोटिफिकेशन की कार्यवाही किया जाना उपयुक्त/समीचीन प्रतीत होती है।

2- पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा व्यक्त किए गए उपर्युक्त अभिमत से निदेशक, भूमि अध्याप्ति, उत्तर प्रदेश द्वारा सहमति प्रकट की गई।

3- उक्त बिन्दुओं पर विधिक दृष्टि से अभिमत के सम्बन्ध में विशेष सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (श्री रणधीर सिंह) द्वारा यह अवगत कराया गया कि विधिक दृष्टिकोण से न्याय विभाग के अभिमत के लिए प्रश्नगत प्रकरण को पत्रावली के माध्यम से नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा न्याय विभाग को सन्दर्भित किया जाए तभी न्याय विभाग द्वारा सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य को देखकर अपना अभिमत दिया जाना उचित रहेगा। निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में नागरिक उड्डयन विभाग पत्रावली पर न्याय विभाग से उनका अभिमत/परामर्श प्राप्त करे।

4- जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए SIA की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। निर्णय लिया गया कि expert group के मन्तव्य के साथ SIA रिपोर्ट शीघ्र शासन के निर्णयार्थ उपलब्ध कराई जाए। इस सम्बन्ध में expert group एवं राजस्व व नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही तत्परतापूर्वक समयवद्ध रूप में सम्पन्न की जाए।

5- SIA की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त शासन स्तर से उपर्युक्त बिन्दु-3 में इंगित अपेक्षानुसार प्राप्त होने वाले न्याय विभाग के परामर्श/अभिमत के क्रम में अग्रेतर निर्णय लेते हुए अपेक्षित कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को निर्देशित किया जाएगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या: 79/2018/1555/छप्पन-2018-31/2016
लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव (श्री एम0पी0 अग्रवाल), अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव (सुश्री अलक्नंदा दयाल), वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
7. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9. उप जिलाधिकारी, जेवर, गौतमबुद्धनगर।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
11. निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।